प्रश्न सं. [क्र. 3348]

वि. स. तारांकित प्रश्न क्र 3348 परिशिष्ट-1

कार्यालय अनुविभागी अधिकारी राजस्व अनुभाग जतारा जिला टीकमगढ़(म0प्र0)

क0/वि0स0/एसडीओ/2024/336 जतारा, दिनॉक 29.06.24

प्रति,

कार्यलपान यंत्री महोदय
लोकनिर्माण विभाग
जिला टीकमगढ़(म0प्र0)

विषयः– अतारांकित प्रश्न 3348 द्वारा मा0 विधायक हरिशंकर खटीक जी
सन्दर्भः– आपका पत्र क01113/तक/ दिनॉक 27.06.2024

---00---

विषयांकित सन्दर्भित पत्र के संबंध मे विधानसभा अतारांकित प्रश्न 3348 मा0 विधायक श्री हरिशंकर खटीज जी के संबंध मे तहसीलदार पलेरासे प्रतिवेदन लिया गया, तहसीलदार पलेरा द्वारा प्रस्तुत विधानसभा प्रश्न का बिन्दुवार उत्तर संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः– तहसीलदार प्रतिवेदन।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग जतारा

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल

2

कार्यालय तहसीलदार तहसील पलेरा जिला टीकमगढ (म.प्र.)

क्र./ 18 /रीड./तह./204-25

प्रति ,

पलेरा दिनांक- 29/06/2024

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय
जतारा जिला टीकमगढ (म.प्र.)

विषय:- तारांकित प्रश्न क्रमांक 3348 द्वारा श्री हरिशंकर खटीक जी।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि तारांकित प्रश्न क्रमांक 3348 द्वारा श्री हरिशंकर खटीक जी के विधानसभा का संशोधित जवाब निम्नानुसार आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	(क) क्या वर्तमान मे गोवा , खजरी, लुधियात खिरक, पारियन खिरक , म.प्र. एवं उ.प्र. वार्डर तक विभाग द्वारा सडक निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जो वर्तमान मे वंद मे है। उसके क्या कारण हैं।	लोक निर्माण विभाग से संबंधित है।
2	(ख) क्या लुधियात खिरक खजरी के पास लोक निर्माण विभाग की वनने वाली वीच सडक पर अतिक्रमण कर दीवार खडी कर देने से सडक का कार्य एवं जनता का निकलना वंद हो गया है। और जनता घूमकर मुश्किल से निकल पा रही है। क्या राजस्व विभाग एवं पुलिस को इसकी जानकारी है। प्रश्न दिनांक तक अतिक्रमण कर वनाई गई दीवार न गिराने के क्या-क्या कारण हैं।	हां लुधियात खिरक खजरी के पास लोक निर्माण विभाग की वनने वाली वीच सडक पर निजी भूमि पर दीवार खडी कर देने से सडक का कार्य एवं जनता का निकलना वंद हो गया है। और जनता घूमकर निकल पा रही है, राजस्व विभाग को जानकारी होने पर पाया गया कि निजी स्वामित्व की भूमि पर निर्माण किया जा रहा है। जिस कारण भूमि पर अतिक्रमण होना नही पाया गया। जिससे अतिक्रमण हटाने के लिये धारा-248 के प्रावधान लागू नही होते है।
3	(ग) प्रशांन (क) एवं (ख) के आधार वताएं कि वह दीवार किस-किस ने वनाई है। राजस्व विभाग एवं पुलिस थाना को इसकी जानकारी होने के वावजूद अतिक्रमण क्यो नही हटाया जा रहा है। क्या –क्या कारण है।	आवेदित भूमि वर्तमान मे कन्हैयालाल, वृजलाल पुत्र भूरा, गुल्ला पुत्र सुकईया के नाम भूमि स्वामित्व मे दर्ज है। व काविज है। जिस कारण धारा-248 के प्रावधान लागू नही होने से अतिक्रमण की श्रेणी मे नही आता है। जिससे अतिक्रमण हटाये जाने का प्रश्न उत्पन्न नही होता है।
4	(घ) निश्चित समय –सीमा सहित वताएं कि कव तक मुख्य सडक पर अतिक्रमण कर वनवाई गई दीवार तोडी जावेगी तो कव तक एवं यह भी वताएं कि कव से वंद पडी सडक का कार्य लुधियात खिरक जाने का पुन: प्रारंभ हो जायेगा।	लोक निर्माण विभाग अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यवाही हेतु सक्षम है।

तहसीलदार
तहसील पलेरा
तहसीलदार
तहसील- पलेरा

(45) पुलिस वि स तारांकित प्रश्न 3348 — परिशिष्ट - 2

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रमांक- पुअ/टीकम/विससे/ 26 /2024 दिनांक-29/06/24

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

विषय- विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3348 द्वारा मान.विधायक श्री हरिशंकर खटीक के द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध मे।

संदर्भ - पत्र क्रमांक 1114/तक/ दिनांक 27.06.2024 के पालन मे ।

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के माध्यम से विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3348 द्वारा माननीय विधायक श्री हरिशंकर खटीक द्वारा बिन्दुवार जानकारी चाही गई है जो निम्नानुसार है –

प्र.क्र.(क)- क्या वर्तमान मे गोवा, खजरी, लुधियात खिरक ,पारियन खिरक,म.प्र.एवं उ.प्र.बार्डर तक विभाग द्वारा सडक निर्माण कार्य कराया जा रहा था जो वर्तमान मे बंद है । उसके क्या कारण है ।
उत्तर- हॉं थाना पलेरा चौकी खजरी के अंतर्गत लुधियात खिरक से होते हुये गोवा से पारियन खिरक म.प्र.एवं उ.प्र.बार्ड तक सडक बनाई जा रही थी जो वर्तमान मे सडक का काम बंद है ।

प्रश्न.क्र.(ख) क्या लुधियात खिरक खजरी के पास लोक निर्माण विभाग की बनने वाली बीच सडक पर अतिक्रमण कर दीवार खडी कर देने से सडक का कार्य एवं जनता का निकलना बंद हो गया है और जनता घूमकर मुश्किल से निकल पा रही है । क्या राजस्व एवं पुलिस विभाग को इसकी जानकारी है । प्रश्न दिनॉंक तक अतिक्रमण अतिक्रमण कर बनाई गई दीवार न गिराने के क्या क्या कारण है । पुलिस विभाग एवं पुलिस थाना को इसकी जानकारी होने के वावजूद अतिक्रमण क्यो नही हटाया जा रहा है । क्या क्या कारण है ।
उत्तर- हॉं, इस बात की जानकारी पुलिस थाना पलेरा को है । सडक का निर्माण कार्य बंद है लेकिन आम जनता का निकलना जारी है । जिस स्थान पर दीवार बनी हुई है उस दीवार के संबंध मे राजस्व से प्राप्त जानकारी अनुसार वह जमीन किसी व्यक्ति की निजी भूमि है उस पर दीवार बनी हुई है ।

उक्त कार्यवाही हेतु पुलिस को कोई आदेश प्राप्त नही है । अतिक्रमण यदि है तो अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही मे पुलिस, राजस्व विभाग की सहयोगात्मक कार्यवाही रहेगी

वांछित जानकारी आपकी ओर प्रेषित है ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल

29.06.24
अति0 पुलिस अधीक्षक
जिला टीकमगढ

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल